

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(11)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक


16.04.2018

:-अधिसूचना:-

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) तथा धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(11)न्याय/2016 दिनांक 16.04.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए, उपरोक्त अधिसूचना द्वारा नवसृजित एवं पूर्व से कार्यरत सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों के नाम परिवर्तित कर निम्नानुसार नियत करती है-


क्र. सं.	अधिसूचना दिनांक द्वारा नवसृजित न्यायालय का नाम	पूर्व से कार्यरत न्यायालय का नाम	अधिसूचना दिनांक द्वारा नवसृजित न्यायालय का परिवर्तित नाम	पूर्व से कार्यरत न्यायालय का परिवर्तित नाम
1	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, बाडमेर	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाडमेर	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, बाडमेर	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 1, बाडमेर

राज्यपाल के आदेश र.


01.8.18
(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार(प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, बाडमेर।
9. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा।
10. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी सहित)
14. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।


11.8.18
(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव